

## विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्देश है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता एवं विधिक अभिभावकों की **वार्षिक आय ₹0 दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2020-21 में कुशलतापूर्वक आनलाइन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समायवधि कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
01	स्तर-1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। ( <a href="http://scholarship.up.gov.in">http://scholarship.up.gov.in</a> )	01 अगस्त, 2020 से 1 नवंबर, 2020 तक
02	स्तर-2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में
03	स्तर-3	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नाकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 05 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 06 नवम्बर, 2020 तक
04	स्तर-4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
05	स्तर-5	सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिण पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	11 दिसंबर, 2020 से 18 दिसंबर, 2020 तक
06	स्तर-6	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नाकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 21 दिसंबर, 2020 तक
07	स्तर-7	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 दिसंबर, 2020 से 24 दिसंबर, 2020 तक

### (अ) छात्र/छात्रा क्या करें :-

- छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी समस्त अभिलेख जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंग पासबुक शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन **संख्या (Enrollment No.)** आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो आदि अभिलेख अपने एकत्रित कर लें।
- सभी छात्र/छात्राएं अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन पत्र आवेदन के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र/छात्राएं यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रवृष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जाच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रवृष्टियों की जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि है तो

उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र का ऑनलाइन सबमिट करें, तदोपरान्त कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें।

3. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें।
4. अनिवार्य वार्षिक नान-रिफण्डेबल फीस के कालम में विभाग द्वारा प्राप्त नोटिस के अनुसार वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें या नीचे दर्शाये गए **Table** के अनुसार अंकित करें।
5. आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC (Know Your Customer)** पूर्ण हो जाती है, अपनी बैंक खाते में **KYC** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत खाता संचालित रखें एवं उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनायें रखें।
6. बचत बैंक खाता संख्या **CBS** एवं **IFSC Code** को भलिभौति जाँच ले, बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC Code** भरने में जीरो (0) और ओ (O) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें, और यह भी ध्यान दे कि खाता संख्या 11 अंको से कम न हो।
7. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को नया अनलाइन आवेदन करना है। द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र/छात्राएं पूर्व वर्ष में किये गये आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा कि स्थिति में आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
8. छात्र/छात्राएं पूर्व की कक्षाओं में छात्रवृत्ति न मिलने की दशा में भी आवेदन पत्र का वर्तमान सत्र में भी नवीनीकरण (**Renewal**) ही करें। न कि नवीन (**Fresh**) आवेदन पत्र भरें।
9. छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक/अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या (**Enrollment No.**), आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या व **IFSC Code** आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राएं आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
10. पाठ्यक्रम व उसके वर्ष के अंकन सही सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
11. छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी00 स्वयं का ही दें। मोबाइल और आधार नंबर को आवेदन पत्र में भरे गए आपके खाते की संख्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
12. नये छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय/जाति प्रमाणपत्र के क्रमांक के प्रवृष्टि में त्रुटि हाईस्कूल के रोल नम्बर के प्रवृष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी।
13. जिन छात्र/छात्राओं का बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन खाता में है, वे अपना खाता बदल ले क्योंकि जन-धन खाते में ₹0 50,000/- से अधिक धनराशि स्थानान्तरित न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे।

14. विस्तृत जानकारी हेतु <http://scholarship.up.gov.in> पर सर्व करें।

(ब) छात्र/छात्रा क्या न करें :-

1. शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें, कार्यालय में स्वयं जमा करें।
2. अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
3. आनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें।
4. अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें।
5. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाने आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा।
6. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रवृष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य नहीं होगा।


आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
2. इंटरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. डिप्लोमा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
4. बी0टेक0 अंकपत्र की छायाप्रति।
5. आय/ जाति/ निवास प्रमाणपत्र की मूल प्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं कम्प्यूटराइज्ड)।
6. **Bor.up.nic.in** से प्रमाणित किया हुआ जाति तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर स्वयं के हस्ताक्षर।
8. गैप का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
9. हास्टल होने पर वार्डन से प्रमाणित आवेदन पत्र।
10. संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति **IFSC Code** कोड सहित।
11. छात्रा/छात्रा के माता-पिता अथवा अभिभावक का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
12. विद्यालय द्वारा प्रदान पहचान पत्र की छायाप्रति।
13. शुल्क की रसीद/चालान की छायाप्रति।
14. आधार कार्ड की छायाप्रति।
15. नवीनीकरण करने वाले छात्र/छात्रा पिछली कक्षा की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्ति की रसीद।
16. ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें, क्योंकि अंतिम तिथि के पश्चात् बेवसाइट लाक कर दी जायेगी।

प्रमात्रपत्रों के साथ विभिन्न परिशिष्टों यथा 'ख' (रु0 100/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर) 'ग', 'च' बनाकर स्पष्ट अक्षरों में भरकर प्रत्येक दशा में अंतिम रूप से दिनांक **01<sup>st</sup> November, 2020** या उससे पहले तक कार्यालय में अवश्य प्राप्त करा दें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वयं की होगी।

अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क :

Course Name	Fee 1 <sup>st</sup> Year & New Lateral Entry (B.sc/Diploma )	Fee 2 <sup>nd</sup> Year	Fee 3 <sup>rd</sup> Year	Fee 4 <sup>th</sup> Year
B. Tech (Civil,IT,ME)	64600/-	64500/-	64500/-	64500/-

  
नोडल अधिकारी  
(छात्रवृत्ति)


संलग्नक : उपरोक्त।

पत्रांक : रा0इन्जी0का0आजमगढ़/छात्रवृत्ति/ /2020

दिनांक : 27 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव, अधिष्ठाता शैक्षणिक/छात्र कल्याण, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त छात्रावास अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित की अपने विभाग में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि संस्थान वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
नोडल अधिकारी  
(छात्रवृत्ति)

## शपथ पत्र

दिनांक :

सेवा में,  
निदेशक,  
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, देवगाँव,  
आजमगढ़।

1. मैं शपथकर्ता ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... पता .....  
..... का पूरा निवासी हूँ।
2. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
..... सरकारी/अर्द्धसरकारी/उद्योग/व्यवसाय/कृषि कार्य करता हूँ/करती हूँ। (सेवास्त संस्थान का पूर्ण पता).....
3. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी स्रोतों से मासिक आय (शब्दों एवं अंकों में) ₹0 .....  
..... एवं वार्षिक आय (शब्दों एवं अंकों में) ₹0 ..... है।
4. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या ..... जिला .....  
..... के तहसील ..... द्वारा निर्गत है, जो कि सही है।
5. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री ..... संस्थान .....  
..... राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, देवगाँव, आजमगढ़ में सत्र 2019-20 ..... की  
कक्षा ..... का अध्ययनरत छात्र है।
6. मैं शपथकर्ता ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
..... घोषणा करता/करती हूँ कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र में कोई त्रुटि नहीं  
है, यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं  
होगा।

शपथकर्ता घोषणा करता है कि क्रम संख्या 01 से 06 तक में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है, यदि महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की भुगतान की गई धनराशि 18 प्रतिशत व्याज के साथ ही महाविद्यालय को वापस करने का वचन देता हूँ। साथ ही महाविद्यालय गलत तथ्यों के आरोप में नियमानुसार दण्ड देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

शपथकर्ता छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पता .....

विद्यार्थी के माता/पिता/विधिक अभिभावक का विवरण  
शपथकर्ता  
हस्ताक्षर .....  
पता .....

नोट :- उपरोक्त शपथपत्र ₹0 10/- के स्टाम्प पेपर पर छात्र/छात्रा के पिता/माता अथवा दोनों के जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया जायेगा, यदि कोई छात्र/छात्रा उक्त शपथ पत्र नहीं देता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार न किया जायेगा।

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र  
(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)  
(अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु!)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... पुत्री/पत्नी पुत्र श्री ..... जाति ..  
निवासी ग्राम/मु0 ..... डाकखाना ..... तहसील .....  
जिला ..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) ..... (संस्थाध्यक्ष) पता .....  
जनपद ..... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के  
द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है।  
उसके मध्य निम्नादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति  
संबंधी योजना संघालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित  
जनजाति नियमवली 2012 में उल्लिखित हैं। उक्त नियमवली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित  
शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक  
नियमवली 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति  
(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों  
सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित  
प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमवली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु  
वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमवली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क  
प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष  
द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर  
देगा।
- 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों  
का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा  
अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

- 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुपलब्ध भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय सनस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर .....	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर .....
	नाम .....		नाम ..... व पदनाम .....
	पिता/पति का नाम .....		पिता/पति का नाम .....
	पता .....		पता .....

प्रथम पक्ष के दो गवाह :-

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता/पति का नाम .....

पता .....

द्वितीय पक्ष के दो गवाह :-

हस्ताक्षर .....

नाम ..... व पदनाम .....

पिता/पति का नाम .....

पता .....

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र  
(निर्धारित दर पर नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)  
(समान्य वर्ग हेतु)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... पुत्रो/पत्नी पुत्र श्री ..... जाति .....  
निवासी ग्राम/मु0 ..... डाकखाना ..... तहसील ..... जिला .....  
जिसे एतत्पश्चात् छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं  
निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) ..... (संस्थाध्यक्ष) पता .....  
जनपद ..... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत  
विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात् संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी,  
प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तानान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी  
पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर सामान्य वर्ग दिशा-निर्देश 2012 में उल्लिखित हैं। उक्त दिशा-निर्देश के  
आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित ज्ञाती है, जिसकी शर्तें निम्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं  
संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर तानान्य वर्ग छात्रवृत्ति  
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर  
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर सनस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा  
करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्राकृत्य पर प्राप्त रसीद  
होगा।
- 3- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार  
परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर,  
स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज  
कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध करावे एवं छात्रवृत्ति के साप्ताहिक  
में डाटा इन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कॉपी डाटा का निलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में  
आवश्यकतानुसार करायेगा।
- 4- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित  
शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित  
समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी  
घनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत घनराशि जमा करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं  
शुल्क प्रतिपूर्ति) की घनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क  
कारप्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा घनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई  
से अनुपालन करेगा।



- 8- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेनेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 9- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेनेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रत्यप पर जिला सनाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला सनाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।
- 10- जिला सनाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उत्ती वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।
- 11- प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।
- 12- छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।
- 13- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर _____	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर _____
	नाम _____		नाम _____ व पदनाम _____
	पिता/पति का नाम _____		पिता/पति का नाम _____
	पता _____		पता _____

प्रथम पक्ष के दो गवाह :-	द्वितीय पक्ष के दो गवाह :-
हस्ताक्षर _____	हस्ताक्षर _____
नाम _____	नाम _____ व पदनाम _____
पिता/पति का नाम _____	पिता/पति का नाम _____
पता _____	पता _____

**छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र**  
(निर्धारित दर पर नाम जूझिशियल स्टाम्प पेपर पर)  
(अन्ध पिछड़ा वर्ग/अल्प-संख्यक वर्ग हेतु !)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक \_\_\_\_\_ को (1) कु0/श्रीमती/श्री \_\_\_\_\_  
आयु \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ पुत्री/पत्नी पुत्र श्री \_\_\_\_\_ जाति \_\_\_\_\_  
निवासी ग्राम/गु0 \_\_\_\_\_, डाकखाना \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
जिसे एतत्परघात छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसने उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं  
निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) \_\_\_\_\_ (संस्थाध्यक्ष) पता \_\_\_\_\_  
जनपद \_\_\_\_\_ (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत  
विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्परघात संस्था कहा गया है, जिसने उसके उत्तराधिकारी,  
प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी  
पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा-निर्देश 2012 में उल्लिखित हैं। उक्त दिशा-निर्देश के  
आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित साक्षी है, जिसको शर्तें निम्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं  
संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति  
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित सनयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर  
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर सनस्त बांछित अनिलेखों सहित संस्था में जमा  
करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद  
होना।
- 3- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का निवेदानुसार  
परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के नायब से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर,  
स्वीकृति प्रदान करायेंगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों का समाज  
कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साप्टवेयर  
में डाटा इन्ट्री करायेंगा तथा उसकी हार्ड कॉपी डाटा का निलान करायेंगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में  
आवश्यकतानुसार करायेंगा।
- 4- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित  
शिक्षा विभाग के नायब से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित  
सनय सीमा में उपलब्ध करायेंगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण नत्ता की पूरी  
धनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं  
शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क  
काउण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7- प्रथम पक्ष संस्था में उक्तन कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई  
से अनुपालन करेगा।

- 8— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 9— द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला सनाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाकर साप्ताहिक नोटिफिकेशन में जिला सनाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।
- 10— जिला सनाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।
- 11— प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।
- 12— छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।
- 13— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर .....	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर .....
	नाम .....		नाम ..... व पदनाम .....
	पिता/पति का नाम .....		पिता/पति का नाम .....
	पता .....		पता .....

प्रथम पक्ष के दो गवाह :-	द्वितीय पक्ष के दो गवाह :-
हस्ताक्षर .....	हस्ताक्षर .....
नाम .....	नाम ..... व पदनाम .....
पिता/पति का नाम .....	पिता/पति का नाम .....
पता .....	पता .....

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र  
संलग्न  
संस्थाध्यक्ष / जिला सनातन कल्याण अधिकारी (जो उचित हों)

- मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जो ग्राम \_\_\_\_\_  
मुहल्ला \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_ का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :-
- 1- यह कि मैं ग्राम \_\_\_\_\_ मुहल्ला \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
  - 2- यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य  
पिछड़ा वर्ग/अल्प-संख्यक वर्ग (जो भी लागू हो) का हूँ।  
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
  - 3- यह कि मेरे माता पिता, विधिवत अभिभावक की सनसत स्रोतों से वार्षिक आय रुपये दो लाख या इससे  
कम है।  
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा  
पत्र सहित संलग्न है)
  - 4- यह कि संस्था में \_\_\_\_\_ शैक्षिक संस्थान के \_\_\_\_\_  
पाठ्यक्रम में \_\_\_\_\_ वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था \_\_\_\_\_  
विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
  - 5- यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में एंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। एंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त  
होने पर संस्था को सनसत उपलब्ध करा दूंगा।
  - 6- यह कि मैंने पिछली परीक्षा \_\_\_\_\_ वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र  
जमायित्व सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
  - 7- यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से  
अधिक लाभप्रद है।
  - 8- यह कि मेरा बचत खाता संख्या: \_\_\_\_\_ बैंक \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ शाखा में खुला हुआ है।
  - 9- यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। (केवल अनुसूचित/जनजाति के लिए लागू  
है।)  
उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी  
तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक : \_\_\_\_\_

शपथी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_